[2024] 7 एस.सी.आर. 127 : 2024 आई.एन.एस.सी 472

सरदार रवि इंदर सिंह एवं अन्य

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या - 2807/2024)

08 जुलाई 2024

[अभय एस. ओका* और उज्ज्वल भुइयां,* जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर शिकायत को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका को खारिज करने में गलती की है, जिसमें कहा गया है कि उठाए गए तर्कों को पहले के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में खारिज कर दिया गया था, जिसे फिर से नहीं उठाया जा सकता है और इसलिए, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत रोक थी।

हेडनोट्स †

रद्द करना - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 362 - जब लागू न हो - द्वितीय प्रतिवादी और उसके भाई द्वारा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध बिक्री के लिए किए गए समझौतों के विशिष्ट निष्पादन के लिए दायर किया गया मुकदमा बाद में अदालत के बाहर समझौते के मद्देनजर वापस ले लिया गया - द्वितीय प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत पर प्रभाव - शिकायत को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि धारा 362 के तहत एक बाधा थी क्योंकि उठाए गए तर्कों को पहले के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में खारिज कर दिया गया था, जिस पर फिर से बहस नहीं की जा सकती - शुद्धता:

निर्णय: उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शिकायत को इस आधार पर रद्द करने के लिए एक महत्वपूर्ण याचिका थी कि इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था - रिट याचिका में दूसरी प्रार्थना धारा 362 के तहत आ सकती थी, क्योंकि प्रार्थना डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर आदेश को रद्द करने के लिए थी - लेकिन पहली प्रार्थना शिकायत को ही रद्द करने के लिए थी - इसलिए, सीआरपीसी की धारा 362 के प्रतिबंध के आधार पर रिट याचिका में पहली प्रार्थना को खारिज करना गलत था - इसके अलावा, दूसरे प्रतिवादी ने लंबित मुकदमे में आवेदन दायर किया जिसमें स्पष्ट

* लेखक

रूप से कहा गया कि अपीलकर्ताओं के साथ अदालत के बाहर समझौते के मद्देनजर, वह किसी भी तरह से मुकदमे की संपत्तियों पर कोई दावा नहीं करेगा - उसने कभी भी उक्त आवेदन में कही गई बातों की सत्यता पर विवाद नहीं किया, और मुकदमे को वापस लेने की अनुमति देने वाला आदेश पारित किया - इस प्रकार, उसने समझौतों के तहत अपना दावा छोड़ दिया और इसलिए, शिकायत जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं होगा - शिकायत को रद्द करने का मामला बनाया गया - ऐसा करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय ने गलती की - शिकायत रद्द कर दी गई। [पैरा 15, 16]

उद्धृत केस कानून

उड़ीसा राज्य बनाम देबेन्द्र नाथ पाढ़ी [2004] अनुपूरक 6 एससीआर 460: (2005) 1 एससीसी 568 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय संविधान, दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

बिक्री के लिए समझौते रद्द करना; विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा; मुकदमा वापस लेना/मुकदमे की वापसी; अदालत के बाहर समझौता; मुक्ति के लिए आवेदन; पहले खारिज किए गए समान तर्क; समझौतों के तहत दावा छोड़ना; शिकायत जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

मामला उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या - 2807/2024

झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दिनांक 17.07.2017 को रिट याचिका संख्या - 243/2016 के निर्णय एवं आदेश।

पार्टियों में उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए - कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ वकील, मैसर्स लीगल ऑप्शन्स, सुश्री सोनिया दुबे, शतद्रु चक्रवर्ती, सुश्री कंचन यादव, सुश्री सुरभि आनंद, कृष्णन अग्रवाल, तनिष्क शर्मा, सुश्री सौम्या शर्मा, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों के लिए सौरभ कुमार, सुश्री रोज़ मारिया सेबी, फैसल शेरवानी, राजीव शंकर द्विवेदी, जयन्त मोहन, सुश्री मीनाक्षी चटर्जी, सुश्री आद्या श्री दत्ता, अधिवक्ता।

सरदार रवि इंदर सिंह एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य

सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट/आर्डर

जजमेंट/निर्णय

अभय एस. ओका, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

तथ्यात्मक पहलू

2. मूलतः, इस अपील में अपीलकर्ताओं की प्रार्थना दूसरे प्रतिवादी गणेश कुमार आगीवाल द्वारा दायर की गई शिकायत की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की है। वर्तमान अपीलकर्ता सरदार बहादुर सर इंदर सिंह (व्यक्तिगत संपत्ति) ट्रस्ट (संक्षेप में, "ट्रस्ट") के ट्रस्टी हैं। वर्तमान अपीलकर्ता और एक गुरदेव सिंह, उक्त ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में, दूसरे प्रतिवादी और उमा शंकर आगीवाल के पक्ष में 29 जनवरी 2001 (संक्षेप में "समझौते") की तारीख को बिक्री के लिए दो अलग-अलग समझौते किए। समझौतों में, दूसरे प्रतिवादी और उमा शंकर को श्री महाकालेश्वर एंटरप्राइजेज (संक्षेप में, "फर्म") के भागीदारों के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने फर्म की ओर से समझौते किए। उमा शंकर दूसरे प्रतिवादी का सगा भाई है।

3. द्वितीय प्रतिवादी और उसके भाई उमा शंकर ने वर्ष 2005 में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध समझौतों के विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद दायर किया था। 8 मई 2007 को उमा शंकर ने लंबित वाद में एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि उनके और द्वितीय प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई 28,01,000/- रुपए की पूरी अग्रिम राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अपीलकर्ताओं से वापस प्राप्त कर ली गई है, और इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रतिवादी और उमा शंकर को पे ऑर्डर के माध्यम से 5,00,000/- रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसलिए, उमा शंकर ने वाद वापस लेने की अनुमति के लिए प्रार्थना की।

4. 28 जून 2007 को, दूसरे प्रतिवादी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जमशेदपुर के समक्ष अपीलकर्ताओं और अन्य के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सी.आर.पी.सी') की धारा 200 के तहत सी/1 केस नंबर 1027/2007 के तहत एक शिकायत दर्ज की, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई.पी.सी') की धाराओं 420, 406, 424 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया। शिकायत का आधार समझौतों के रूप में संपत्ति का बिक्री लेनदेन था। शिकायत में, उमा शंकर को पहला आरोपी दिखाया गया था, और वर्तमान अपीलकर्ताओं को दूसरे और तीसरे आरोपी के रूप में दिखाया गया था। शिकायत में, दूसरे प्रतिवादी ने उमा शंकर द्वारा दायर मुकदमे को वापस लेने के लिए 8 मई 2007 को आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब उनकी जानकारी के बिना उमा शंकर द्वारा अपीलकर्ता के साथ मिलीभगत से किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने अपीलकर्ताओं को पूरी अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया था। आरोप यह है कि अपीलकर्ता समझौतों के बावजूद बिक्री

विलेख निष्पादित करने में विफल रहे। 19 जुलाई 2007 को उपरोक्त शिकायत के आधार पर एक आपराधिक न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दूसरे प्रतिवादी ने 31 जुलाई 2007 को अपीलकर्ताओं के खिलाफ सी.आर.पी.सी की धारा 200 के तहत कमोबेश एक समान शिकायत दर्ज की थी। दूसरे प्रतिवादी की बाद की शिकायत केस नंबर 1248/2007 को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 14 सितंबर 2009 के आदेश द्वारा सी.आर.पी.सी की धारा 203 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

5. उमा शंकर को विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित किया गया था, जिन्होंने एक लिखित बयान दायर किया था जिसमें तर्क दिया गया था कि देरी से भुगतान के लिए मुआवजे के साथ अपीलकर्ताओं को भुगतान की गई पूरी राशि वापस कर दी गई है। 11 नवंबर 2008 को, दूसरे प्रतिवादी ने लंबित मुकदमे में एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि पक्षों के बीच समझौता हो गया था और दूसरे प्रतिवादी का मुकदमे की संपत्तियों में कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है। इसलिए, उन्होंने मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की। 27 नवंबर 2008 के आदेश द्वारा, विद्वान परीक्षण न्यायाधीश ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे को वापस ले लिया।

6. प्रथम शिकायत में, केस संख्या 1027/2007 में, अपीलकर्ताओं ने समझौते के आधार पर सीआरपीसी की धारा 245 के तहत आरोपमुक्ति के लिए आवेदन किया था। जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 28 अगस्त 2012 के आदेश द्वारा आरोपमुक्ति के लिए आवेदन को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ताओं ने आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर मुकदमे को वापस लेने के लिए आवेदन और ट्रायल कोर्ट द्वारा उक्त आवेदन पर पारित परिणामी आदेश पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि आरोप तय करते समय, अभियुक्त को कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिका को ऐसे उपचारों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया, जो उपलब्ध हो सकते हैं।

7. इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने पहली आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक मूल रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपाय का आह्वान किया। आरोपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पहले के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में उन्हीं तर्कों को खारिज कर दिया गया था, जिसे फिर से नहीं उठाया जा सकता। इसलिए, सीआरपीसी के अनुच्छेद 362 के तहत एक रोक थी।

<u>प्रविष्टियों</u>

8. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें शिकायत की प्रति, दूसरे प्रतिवादी द्वारा वापस लेने के लिए किए गए आवेदन और विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा उस पर पारित आदेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने बहुत ही तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए कोई मामला नहीं बनता। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रतिवादी को बिक्री के समझौतों के तहत भुगतान की गई सारी राशि मिल जाने के बाद, पहली शिकायत का अभियोजन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं था।

9. दूसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विवादित आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को इस मुद्दे को फिर से खोलने की अनुमति न देकर सही किया, जिसे अपीलकर्ताओं द्वारा दायर पहले आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में पारित आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था। प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी विवादित आदेश का समर्थन किया।

<u>प्रस्तुतियों पर विचार</u>

10. बिक्री के लिए समझौते अपीलकर्ताओं और उक्त ट्रस्ट के एक अन्य ट्रस्टी द्वारा अनुसूची 'ए' और अनुसूची 'बी' के रूप में वर्णित दो संपत्तियों की बिक्री के लिए और क्रमशः 2.75 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये के विचार के लिए निष्पादित किए गए थे। दूसरे प्रतिवादी और उनके भाई उमा शंकर द्वारा दायर अलग डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को 28,01,000 रुपये की बयाना राशि मुकदमे के पैराग्राफ 3 में किए गए कथनों से पता चलता है कि उन्होंने अलग- का भुगतान किया था। मुकदमे में आरोप यह है कि 17फरवरी 2004 की तारीख वाले एक अन्य समझौते द्वारा अपीलकर्ताओं ने समझौतों की विषय वस्तु वाली संपत्तियों के संबंध में दूसरे प्रतिवादी और उसके भाई के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित और पंजीकृत करने पर सहमति व्यक्त की। दूसरे प्रतिवादी और उसके भाई के मामले के अनुसार, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि अपीलकर्ताओं ने विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया था।

11. द्वितीय प्रतिवादी द्वारा दायर सी/1केस संख्या 1027/2007 की प्रथम शिकायत (इस अपील की विषय वस्तु) में, शिकायत में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ताओं ने बिक्री विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया है। यह दावा किया गया है कि चूंकि टिस्को लिमिटेड ने समझौतों के अनुसार बिक्री विलेख के निष्पादन पर आपत्ति जताई थी, इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर 17 फरवरी 2004 को एक नया समझौता निष्पादित किया गया था। उसके बाद, द्वितीय प्रतिवादी ने विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे का उल्लेख किया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि प्रथम अपीलकर्ता ने किशन नामक व्यक्ति के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी, जो पांचवां आरोपी था और बाद में, 23 अक्टूबर 2005 को, प्रथम अपीलकर्ता ने प्रतीकात्मक रूप से संपत्ति को आशीष नामक व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया, जो चौथा आरोपी था। इसके बाद, शिकायत में उमा शंकर द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा वापस लेने के लिए 8 मई 2007 को दिए गए आवेदन का संदर्भ है। आरोप है कि यह आवेदन एक झूठा दस्तावेज है जिसे उमा शंकर ने वर्तमान अपीलकर्ताओं के साथ साजिश करके बनाया है। इसलिए, आईपीसी की धारा 468, 420, 406, 424 और धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। आपराधिक न्यायालय द्वारा उक्त शिकायत पर संज्ञान लिया गया। उमा शंकर को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में स्थानांतरित किया गया।

12. यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 11 नवंबर 2008 को आवेदन किया गया था, जिसे द्वितीय प्रतिवादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में वादी के रूप में दायर किया था। उक्त आवेदन के पैराग्राफ 2 और 3 इस प्रकार हैं:

> "..............................
>
> **2.** अब से वादी को इस मुकदमे की संपत्तियों पर किसी भी तरह का अधिकार, शीर्षक, हित और कब्ज़ा नहीं मिलेगा और वह भविष्य में इस मुकदमे की संपत्तियों पर किसी भी तरह का दावा नहीं करेगा।
>
> **3.** उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वादी इस मुकदमे में आगे कार्यवाही नहीं करना चाहता है और इसे वापस लेना चाहता है।
>
> ...."

27 नवंबर 2008 को ट्रायल कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया और मुकदमे को वापस ले लिया। उक्त आदेश में ट्रायल कोर्ट ने विशेष रूप से दर्ज किया कि दूसरे प्रतिवादी ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरे प्रतिवादी ने 27 नवंबर 2008 को पारित मुकदमे को वापस लेने की अनुमति देने वाले आदेश को कभी चुनौती नहीं दी।

13. दूसरी शिकायत संख्या 1248/2007 दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं को क्रमशः आरोपी संख्या 1 और 2 तथा आशीष और किशन को आरोपी संख्या 3 और 4 के रूप में दिखाया गया था, जिन्हें पहली शिकायत में आरोपी संख्या 4 और 5 के रूप में दिखाया गया था। 14 सितंबर 2009 को दिए गए विस्तृत आदेश द्वारा, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने माना कि शिकायत में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा लंबित है। दूसरी शिकायत में आरोप फिर से बिक्री के लिए उन्हीं समझौतों पर आधारित थे। यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने दूसरे प्रतिवादी को धोखा देने की साजिश रची।

14. अब हम अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरी शिकायत में आरोपमुक्ति के लिए की गई प्रार्थना पर आते हैं। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के दिनांक 28 अगस्त 2012 के आदेश में दूसरे प्रतिवादी द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2008 के आवेदन के आधार पर मुकदमा वापस लेने के बाद के घटनाक्रम का उल्लेख नहीं है। अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे के निपटान और वापसी के संबंध में बाद की घटनाओं की ओर इशारा किया गया था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने **उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाढ़ी**[1] के मामले में अपने निर्णय में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा करके उक्त घटनाओं पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्त आरोप तय करने के चरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने का हकदार नहीं था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को उपलब्ध उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था।

15. इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के तहत, अपीलकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पेश की गई थी, जिसमें पहली प्रार्थना इस आधार पर पहली शिकायत को रद्द करने की थी कि मुकदमे में समझौते के मद्देनजर, शिकायत को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग था। हमने उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का अवलोकन किया है। उच्च न्यायालय ने यह बात नहीं देखी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद

[1] [2004] सप. 6 एससीआर 460 : (2005) 1 एससीसी 568

226 के तहत एक महत्वपूर्ण याचिका थी, जिसमें इस आधार पर शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी कि इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। याचिका में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए उन्मोचन के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। पहले के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में, उच्च न्यायालय ने उन्मोचन के आवेदन को खारिज करने के आदेश की पुष्टि की थी। आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दूसरे प्रतिवादी के साथ मुकदमे में समझौते और मुकदमे के निपटान के संबंध में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, उन्हें डिस्चार्ज के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय विचार नहीं किया जा सकता था। विवादित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 362 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार है:

> **"362.** न्यायालय द्वारा निर्णय में परिवर्तन न किया जाना। इस संहिता या किसी अन्य समय प्रवृत्त विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी न्यायालय, जब वह किसी मामले का निपटारा करने वाले अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है, तो लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि को ठीक करने के अलावा उसमें परिवर्तन या समीक्षा नहीं करेगा।"

रिट याचिका में दूसरी प्रार्थना सीआरपीसी की धारा 362 के तहत आ सकती थी, क्योंकि प्रार्थना डिस्चार्ज के लिए आवेदन पर आदेश को रद्द करने के लिए थी। लेकिन पहली प्रार्थना शिकायत को ही रद्द करने के लिए थी। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 362 के प्रतिबंध के आधार पर रिट याचिका में पहली प्रार्थना को खारिज करना गलत था।

16. हम पहले ही बता चुके हैं कि दूसरे प्रतिवादी ने 11 नवंबर 2008 को दिए गए आवेदन में क्या कहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ताओं के साथ अदालत के बाहर समझौते के मद्देनजर, वे मुकदमे की संपत्तियों पर किसी भी तरह का दावा नहीं करेंगे। दूसरे प्रतिवादी ने कभी भी उक्त आवेदन में कही गई बातों की सत्यता पर विवाद नहीं किया और मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी। दूसरे प्रतिवादी ने कोई कार्यवाही दायर करके वापसी की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती नहीं दी। जब दूसरे

प्रतिवादी ने कहा कि वह मुकदमे की संपत्तियों पर किसी भी तरह से कोई दावा नहीं करेगा, तो उसने 29 जनवरी 2001 के समझौतों के तहत अपना दावा छोड़ दिया। पहली शिकायत में प्राथमिक शिकायत यह थी कि उक्त समझौतों के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने संपत्तियों को सह-अभियुक्तों को हस्तांतरित करने की कोशिश की और 8 मई 2007 को मुकदमा वापस लेने के लिए एक झूठा आवेदन तैयार किया, जो वास्तव में दूसरे प्रतिवादी के भाई उमा शंकर द्वारा बनाया गया था।

17. चूंकि दूसरे प्रतिवादी ने समझौतों के तहत अपने अधिकारों को छोड़ दिया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि शिकायत जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए, शिकायत को रद्द करने का मामला बनाया गया। ऐसा करने से इनकार करके उच्च न्यायालय ने गलती की।

18. तदनुसार, अपील सफल होती है, और हम सी/1 मामला संख्या 1027/2007 को रद्द करते हैं, जो कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित है।

परिणाम : अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।